

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
कमांक :- प. 18(1)साप्र/2/12

जयपुर, दिनांक : 27.7.12

—: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सन्मुख अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री मनोज यादव कनिष्ठ लिपिक पुलिस मुख्यालय, जयपुर	5/141 गॉधीनगर	30.11.2034	132ए/02
2	श्री ओमप्रकाश शर्मा कनिष्ठ लिपिक निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर	5/185 गॉधीनगर पुराना नं0 जी-955	31.5.2021	21/06
3	श्री अखलाक उस्ता कनिष्ठ लिपिक राजकीय उपक्रम विभाग, जयपुर	5/134 गॉधीनगर (5/133 गॉधीनगर के स्थान पर)	31.12.2047	39/06
4.	श्री महेन्द्र सिंह शेखावत कनिष्ठ लिपिक इन्दिरा गॉधी नहर मण्डल, जयपुर	5/97 गॉधीनगर	29.2.2040	76/06
5	श्री ज्ञानचंद मीणा कनिष्ठ लिपिक जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग उत्पादन एवं वितरण उप खण्ड प्रथम (दक्षिण), जवाहरनगर जयपुर	5/121 गॉधीनगर	31.9.2039	86/06
6	श्री सुरेन्द्र कुमार सामोता कनिष्ठ लिपिक, विधि विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/123 गॉधीनगर	1.4.2048	16/11
7	श्री राम सिंह कनिष्ठ लिपिक शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/139 गॉधीनगर	31.7.2044	23/11
8	श्री बल राम कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (ग-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/56 गॉधीनगर	28.2.2045	24/11

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह

की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।

7 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

8 आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-

1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Eo

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

Old (Web.)

3812

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा/संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, मुख्यालय, जयपुर।
4. अध्यक्ष, इन्दिरा गाँधी नहर मण्डल जयपुर।
5. सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, उत्पादन एवं वितरण, उप खण्ड प्रथम (दक्षिण), जवाहर नगर, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक/ख-1 विभाग।
7. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय।
8. कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गाँधीनगर, जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर,, जयपुर।
12. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
13. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
14. रक्षिता पत्रावली।



शासन सहायक सचिव